

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2010—भाद्र 26, शक 1932

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. एफ 308-05-01-2010.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

1. ऊर्जा विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.1 निम्नदाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिये मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	नेटवर्क से संभव है :-					
	(अ) जोन/शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय.	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	11 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र	वितरण केन्द्र प्रभारी	16 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.2	मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना :-					
	(अ) जोन/शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय.	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	10 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र	वितरण केन्द्र प्रभारी	14 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरान्त अस्थाई कनेक्शन प्रदान करना :-					
	(अ) जोन/शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय.	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र	वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.4	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग-पत्र जारी करना :-					
	(अ) जोन/शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय.	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र	वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.5	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरान्त भारवृद्धि करना :—					
(अ)	जोन/शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय.	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
(ब)	ग्रामीण क्षेत्र.	वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.6	निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना :—					
(अ)	जोन/शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय.	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	22 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
(ब)	ग्रामीण क्षेत्र.	वितरण केन्द्र प्रभारी	37 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

2. श्रम विभाग

2.1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र— प्राधिकृत श्रम अधिकारी अथवा जहां श्रम कार्यालय नहीं है वहां नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.				
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र— प्राधिकृत श्रम अधिकारी अथवा जहां श्रम कार्यालय नहीं है वहां नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. शहरी क्षेत्र— प्राधिकृत श्रम अधिकारी अथवा जहां श्रम कार्यालय नहीं है वहां नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
3. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग						
3.1	विभागीय हैण्डपम्प के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार.	उपयंत्री	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
3.2	विभागीय हैण्डपम्प के जमीन के निचले भाग में हैण्डपम्प की लाइन असेम्बली व सिलेण्डर की गंभीर खराबी का सुधार.	उपयंत्री	15 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
4. राजस्व विभाग						
4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ.; क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.2	चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय.	तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी.	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.4	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.5	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

5.1	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना.	(1) नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).	30 कार्य दिवस	(1) कलेक्टर
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो).		(2) आयुक्त, नगरपालिक निगम.		(2) कलेक्टर
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम.		(3) कलेक्टर		(3) संभागीय आयुक्त.

6. सामान्य प्रशासन विभाग

6.1	स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
-----	---------------------------------------	--	--------------	--------------------------------	---------------	---------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सामाजिक न्याय विभाग						
7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. नगरीय क्षेत्र के लिये				
		अ-आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
		ब-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत.	60 कार्य दिवस	ब-अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. नगरीय क्षेत्र के लिये				
		अ-आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
		ब-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत.	60 कार्य दिवस	ब-अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. नगरीय क्षेत्र के लिये				
		अ-आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
		ब-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत.	60 कार्य दिवस	ब-अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. नगरीय क्षेत्र के लिये अ-आयुक्त, नगर निगम ब-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत.	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर ब-अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त कलेक्टर
7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदाय करना.	1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. नगरीय क्षेत्र के लिये अ-आयुक्त, नगर निगम ब-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत.	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर ब-अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त कलेक्टर
8.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग					
8.1	म. प्र. अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन का समाधान करना.	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
9.1	नवीन बीपीएल राशनकार्ड जारी करना.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी.	30 कार्य दिवस	जिला नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.2	नवीन एपीएल राशनकार्ड जारी करना.	जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	जिला नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत के सचिव.	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीना वर्मा, उपसचिव.